for a period from 1-5-1997 to 31-3.2000, on a licence fee payable to AAI at the rate of Rs. 332.75 per sq. m. per month subject to periodical revisions. Directorate of Income Tax has taken over possession of the space and has taken steps to set up an office at the airport. The domestic airport at Delhi will be supervised from the proposed office at Terminal-II of IGI Airport. The Government has plans to set up Air Intelligence Units at other major airpors in the country. At present, such an Unit is functioning at the domestic terminal of he Chennai airport since November, 1993.

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों के लिये मानदंड

*296. **श्री अजीत जोगी :**

श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा बेरोजगार व्यक्तियों को ऋण देने में क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं ;

(ख) क्या इस आशय की शिकायतें मिली हैं कि लोगों को इस कारण परेशान किया जा रहा है और बैंक अधिकारी आवेदकों से ऋण राशि का दस प्रतिशत कमीशन के रूप में ले रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) बैंक शिक्षित और प्रशिक्षित बेरोजगार युवकों को प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण प्रदान करते हैं । इस योजना के अन्तर्गत, 18 और 35 वर्ष के बीच के वे व्यक्ति सहायता के लिए पात्र होंगे, जो मैट्रिक पास या फेल हैं या आई.टी.आई. पास हैं या जिन्होंने न्यूनतम छह महीने की अवधि के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित तकनीकी कोर्स किया है और जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 24,000/- रुपए से अधिक नहीं है तथा हिताधिकारी के माता-पिता की वार्षिक आय 24,000/- रुपए तक है । आवेदक को कम से कम तीन वर्षों से क्षेत्र का स्थायी निवासी होना चाहिए ।

प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण मंजूर करने की प्रक्रिया में जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा पात्र व्यक्तियों से आवेदनों की प्राप्ति, कृतिक बलों द्वारा उसकी संवीक्षा और उसे संबंधित बैंकों को प्रायोजित (स्पांसर) करना शामिल है । तत्पश्चात्, हिताधिकारी द्वारा चयनित व्यापार के आधार पर प्रबंधकीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है । भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह परामर्श दिया है कि वे ऋण आवेदनों का निर्दिष्ट समय के अन्दर निपटान करें ।

(ख) और (ग) प्रधानमंत्री रोजगार योजना के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक को प्राप्त शिकायतें बैंकों द्वारा संपार्श्विक प्रतिभूति/अन्य पक्ष की गारंटी की मांग किए जाने, सावधि जमाराशियों का अनुरोध किए जाने, बैंक कर्मचारियों के असहयोग, ऋणों की मंजूरी में अनुचित देरी और अवैध परितोषण की मांग किए जाने जैसे मामलों से संबंधित होती हैं । भारतीय रिजर्व बैंक को जब भी ये शिकायतें प्राप्त होती हैं, उन्हें आरोपों की जांच करने के लिए संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय / संबंधित बैंक को अग्रेषित कर दिया जाता है । विस्तृत जांच पूरी होने के बाद शिकायतकर्ताओं को मामले की सूचना उपयुक्त रूप दे दी जाती है ।

Single-window scheme for running hotels

*297. SHRI SANJAY NIRUPAM:

SHRI RAJNATH SINGH 'SURYA':

Will the Minister of TOURISM be pleased to state:

(a) whether it is a fact that hotel industry is required to get several licences for running the hotels;